



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032022-234037
CG-DL-E-10032022-234037

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2022/ फाल्गुन 18, 1943

No. 174]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2022/PHALGUNA 18, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2022

सा.का.नि. 177(अ).—जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 88 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार संबंधित राज्यों की सरकारों के परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

- (1) इन नियमों को अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियमावली, 2022 कहा जा सकेगा।
(2) ये 7 जनवरी, 2021 से प्रभावी हुए समझे जाएंगे।
- अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली 1958 में, नियम 16 में, उप-नियम (1) में, चतुर्थ परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 14015/40/2021-अभासे-(I)(1)]

कुलदीप चौधरी, अवर सचिव

नोट: मूल नियमों को दिनांक 18 अगस्त, 1958 की सा.का.नि. संख्या 728 (अ) भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार दिनांक 7 जून, 2019 की सा.का.नि. सं. 412(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel And Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2022

G.S.R. 177(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with section 88 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Death-Cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, namely :-

1. (1) These rules may be called the All India Services (Death-Cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 2022.
(2) They shall be deemed to have come into force on the 7th day of January, 2021.
2. In the All India Services (Death-Cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, in rule 16, in sub-rule (1), the fourth proviso shall be omitted.

[F. No. 14015/40/2021-AIS(I)(1)]

KULDEEP CHAUDHARY, Under Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide number G.S.R. 728 (E), Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 18th August, 1958* and last amended *vide number G.S.R. 412(E) dated the 7th June, 2019*.